

वाद पत्र संख्या : 18/2022  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घडसाना जिला श्रीगंगानगर  
 लक्ष्मणसिंह बनाम कमलादेवी आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या :- 2022/19 (LCMMS)

07.02.2022 यह पत्रावली वादी की ओर से एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये वकील श्री संदीप यादव के प्रस्तुत करने पर पेश हुई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर करके प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब करके पत्रावली दिनांक 10.03.2022 को पेश हो।

10.3.22 पत्रावली पेश। श्रीमान पी.ओ. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त/अवकाश पर/मुख्यालय से बाहर है। पत्रावली पूर्वानुसार दि. 12.4.22 को पेश हो।


12.4.22 पत्रावली पेश। प्रार्थी स्वयं एवं वकील श्री अ.प्र. प्रार्थी ने निवेदन किया कि पत्रकारों का आग्रह से राजीनामा हो जाने के कारण इस पत्रावली को जोड़ने के आग्रह पर खारिज किया गया। श्रीमान पी.ओ. साहब अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त (पत्रावली) आदिना दिनांक 20.4.22 को पेश हो।

20.4.22 पत्रावली आज प्रशासन गणों के संग अतिरिक्त कोर्ट में प्रार्थी ने पेश। प्रार्थी ने स्वयं उप. होम नोट बेल के आग्रह पर यह वाद पत्र खारिज करके का निवेदन किया। अवलोकन किया गया। प्रार्थी का निवेदन स्वीकार करते हुए यह वाद पत्र

उक्त पत्रावली में अतिरिक्त कार्यवाही नहीं की जायेगी।  
 Not press  
 लक्ष्मणसिंह  
 Identity  
 Sign.

नोटिस के आग्रह पर खारिज लक्ष्मणसिंह

मोल्सेस के अन्तर्गत पर इसी फल पर करिफ  
रिफा लगाने की परावकी फैसलामुमाल होर  
हाकिम दफतर हो।

  
(अधिकारी कलाबिया)  
उपखण्ड अधिकारी  
घडसाना